R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मासिक शुल्क : ₹ 1 मात्र

खण्ड IX ◆ अंक 3
सितम्बर 2012

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

आवास ऋणों को ब्याज अनुदान

भारत सरकार ने 15 लाख रुपए तक के आवास ऋणों को 1% ब्याज अनुदान की योजना प्रदान की है जहाँ आवास की लागत 25 लाख रुपए से अधिक नहीं है। यह योजना 31 मार्च 2013 तक लागू रहेगी।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और आवास वित्त कंपनियों के लिए इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एकमात्र केंद्रीय एजेंसी है।

बैंकों को सूचित किया गया है कि वे जोर-शोर से इस योजना का कार्यान्वयन करें, शीघ्रता से राष्ट्रीय आवास बैंक को अपने दावे प्रस्तुत करें तथा इस योजना का लाभ सभी पात्र उधारकर्ताओं / हिताधिकारियों को प्रदान करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे इस योजना का व्यापक प्रचार करें।

आरक्षित नकदी निधि अनुपात घटाया गया

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा बनाए रखे जाने वाले आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में 25 आधार अंकों की कमी करते हुए उसे 22 सितंबर 2012 को आरंभ होने वाले पखवाड़े से उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 4.75 प्रतिशत से घटाकर 4.50 प्रतिशत किया गया है।

फैक्टरिंग कंपनियों को बैंक वित्त

बैंक अब फैक्टरिंग कंपनियों को फैक्टरिंग कारोबार में सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती हैं, बशर्ते -

(ए) कंपनियाँ, फैक्टरिंग कंपनियों के रूप में अर्हक हों तथा फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के प्रावधानों तथा इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत अपना कारोबार करती हों।

(बी) ये कंपनियाँ कम-से-कम 75 प्रतिशत तक की अपनी आय फैक्टरिंग गतिविधियों से प्राप्त करती हों।

(सी) इससे निर्पेक्ष है कि 'सहायता के साथ' अथवा 'बिना सहायता' आधार पर क्रय की गई / वित्त प्रदान की गई प्राप्तियाँ फैक्टरिंग कंपनी की आस्तियों का कम-से-कम 75 प्रतिशत हों।

(डी) उपर्युक्त संदर्भित आस्तियों / आय में फैक्टरिंग कंपनी द्वारा प्रदान की गई किसी हुंडी दलाली सुविधा से संबंधित आस्ति / आय शामिल नहीं होगी।

(ई) फैक्टरिंग कंपनियों द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता उनके पक्ष में प्राप्तियों के दृष्टिबंधक अथवा समनुदेशन द्वारा सुरक्षित है।

प्रभावी अनर्जक आस्ति प्रबंध

बैंकों को अपनी अनर्जक आस्तियों (एनपीए) तथा पुनर्संचित खातों का प्रभावी ढंग से व्यवस्था करने के लिए अपनी सामर्थ्य में सुधार करने की दृष्टि से तथा यह विचार करते हुए कि प्रायः बैंकों की सभी शाखाएं पूरी तरह कंप्यूटरीकृत हैं, रिज़र्व बैंकों को सूचित किया है कि वे :

- अपने विद्यमान सूचना प्रौद्योगिकी और एमआईएस ढाँचे की समीक्षा करें तथा अलग-अलग खाता स्तर तथा खण्ड स्तर (आस्ति वर्ग, उद्योग, भौगोलिक, आकार आदि) पर परेशानी के संकेतों का शीघ्र पता लगाने के लिए एक मजबूत एमआईएस व्यवस्था लागू करें। ऐसे पूर्व चेतावनी संकेतों का उपयोग सभी खण्डों में उन संस्थाओं के आर्थिक मूल्यों को बनाए रखने हेतु व्याप्त विनियामक ढाँचे के भीतर परेशानी के अंतर्गत अर्थक्षम खातों के लिए एक पारदर्शी पुनर्संरचना सहित एक प्रभावी निवारक आस्ति गुणवत्ता प्रबंध ढाँचा लागू करने के लिए किया जाए।
- अनर्जक आस्तियों और पुनर्संचित आस्तियों पर प्रणाली द्वारा तैयार खण्डवार सूचना रहे जिसमें प्रारंभ शेष, जोड़, घटाव (उन्नयन, वास्तविक वसूली, बट्टे खाते आदि), अंत शेष, धारित प्रावधान, तकनीकी बट्टे खाते आदि पर आँकड़ें शामिल हों।

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
आवास ऋणों को ब्याज अनुदान	1
आरक्षित नकदी निधि अनुपात घटाया गया	1
फैक्टरिंग कंपनियों को बैंक वित्त	1
प्रभावी अनर्जक आस्ति प्रबंध	1
भुगतान प्रणाली	
सीटीएस 2010 मानक चेक जारी करना	2
भारत में व्हाइट लेबल एटीएम	2
फेमा	
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	3
भारत में आयात के लिए व्यापार ऋण	3
मूलभूतसुविधा क्षेत्र को तात्कालिक वित्त	3
रुपया ऋण / रुपया पूँजी व्यय	3
भारतीय निक्षेपागार रसीदें जारी करना -सीमित दुतरफा प्रतिमोच्यता	3
अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशकों द्वारा विदेशी निवेश-हेजिंग सुविधाएं	3
भारत में संपर्क / शाखा / परियोजना कार्यालय की स्थापना	4
ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने के लिए किए गए उपाय	4

भुगतान प्रणाली

सीटीएस 2010 मानक चेक जारी करना

सीटीएस 2010 मानक चेक प्रारूप को समयबद्ध तरीके से अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए सभी बैंकों को सूचित किया गया है कि:

- 30 सितंबर 2012 तक केवल मल्टी सिटी / सममूल्य पर देय सीटीएस 2010 मानक चेक जारी करें।
- एसएमएस, पत्रों, शाखाओं / एटीएम में स्थित डिस्प्ले बोर्डों, इन्टरनेट बैंकिंग में लॉग ऑन मैसेजों, वेबसाइट पर अधिसूचनाओं इत्यादि के माध्यम से ग्राहकों के बीच जागरूकता का सृजन करते हुए 31 दिसंबर 2012 से पहले परिचालन में गैर-सीटीएस 2010 मानक चेकों को वापस मंगाने की व्यवस्था करें।
- आगे की तिथि के (पोस्ट-डेटेड) ईएमआई गैर-सीटीएस 2010 मानक चेकों के स्थान पर (चाहे वे बैंकों के स्वयं के नाम पर हों या उनकी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नाम पर) 31 दिसंबर 2012 से पहले सीटीएस 2010 मानक चेकों को लाया जाए।

आपको यह स्मरण होगा कि दिसंबर 2011 में अपने ग्राहकों को चेक सुविधा उपलब्ध कराने वाले बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपने ग्राहकों को समयबद्ध कार्य योजना के अनुसार 30 सितंबर 2012 तक केवल 'सीटीएस-2010' मानक चेक ही जारी करें। तथापि, यह देखा गया है कि गैर सीटीएस-2010 मानक वाले चेक फॉर्म अभी भी कई बैंकों द्वारा जारी किए जा रहे हैं यहाँ तक कि उत्तरी (नई दिल्ली) और दक्षिणी (चेन्नई) सीटीएस ग्रिड के क्षेत्र में आने वाले कई बैंक भी इसमें शामिल हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीटीएस 2010 मानक के अनुपालन में कई लाभ निहित हैं क्योंकि, छवि आधारित व्यवस्था में चेक फॉर्मों में उपस्थित सुरक्षा संबंधी विशेषताएँ, प्रस्तुतकर्ता बैंकों को अदाकर्ता बैंकों द्वारा जारी किए गए लिखतों की वास्तविकता को पहचानने में मदद करती हैं। सुरक्षा विशेषताओं में समरूपता धोखाधड़ी के विरुद्ध कार्य करती है और निश्चित स्थान निर्धारण अदाकर्ता बैंक को ऑप्टिकल/इमेज कैरेक्टर रिकग्नीशन प्रौद्योगिकी के माध्यम से सीधे प्रसंस्करण करने में सहायता करती है।

सकल अनर्जक आस्तियाँ - जून 2012 में राष्ट्रीयकृत बैंकों के सकल अग्रिमों के अनुरूप सकल अग्रिमों की सकल अनर्जक आस्तियाँ

बैंक	सकल अनर्जक आस्तियाँ	सकल अग्रिमों के अनुरूप सकल अनर्जक
इलाहबाद बैंक	2,170	2.06
आँध्रा बैंक	2,280	2.63
बैंक ऑफ बड़ौदा	4,696	2.35
बैंक ऑफ इंडिया	5,769	3.15
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1,294	2.24
कैनरा बैंक	4,347	2.03
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	7,510	4.87
कार्पोरेशन बैंक	1,689	1.71
देना बैंक	1,076	1.80
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	5,496	3.37
इंडियन बैंक	1,358	1.54
इंडियन ओवरसिज़ बैंक	4,008	3.09
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	3,499	3.07
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	826	1.74
पंजाब नेशनल बैंक	9,118	3.33
सिंडिकेट बैंक	3,100	2.76
यूको बैंक	4,507	4.20
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	6,471	3.96
यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	2,131	3.35
विजया बैंक	1,693	2.85
कुल	73,038	2.94

स्रोतः संसदीय प्रश्न

भारत में व्हाइट लेबल एटीएम

रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की गैर बैंकिंग संस्थाएं जो पूंजी लगाना चाहती हैं वे ऐसा कर सकती हैं बशर्ते कि वे एक सनदी लेखाकार से यह प्रमाणपत्र उपलब्ध करा दें कि यह अतिरिक्त पूंजी 100 करोड़ रुपए की निवल मालियत के मानदंड को पूरा करने के लिए लगाई गई है। इस संबंध में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार प्राधिकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है, जो मौजूदा सनदी लेखाकार, जिसने संस्था के पिछले तुलन-पत्र की लेखापरीक्षा की हो या ऐसे सनदी लेखाकार जिसने पिछली तिमाही/छमाही के खातों की एक सीमित समीक्षा की हो, से प्राप्त किया गया हो।

रिज़र्व बैंक से गैर बैंकिंग संस्थाएँ यह जानना चाहती हैं कि क्या 100 करोड़ रुपये की निवल मालियत के मानदंडों को पूरा करने के लिए पूंजी लगाने पर विचार किया जाएगा यदि संस्था की तुलन-पत्र की लेखा परीक्षा के बाद पूँजी लगाई जाती है।

फेमा

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति की समीक्षा की गई है और निम्नलिखित सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है -

(ए) सरकारी मार्ग के अंतर्गत केवल एक अनिवासी संस्था द्वारा चाहे वह ब्रैण्ड का स्वामी हो अथवा अन्य कोई हो, एकल-ब्रैण्ड उत्पाद खुदरा व्यापार में 100 प्रतिशत तक।

(बी) सरकारी मार्ग के अंतर्गत मल्टी-ब्रैण्ड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत तक।

(सी) स्वचालित / सरकारी मार्ग के अंतर्गत अनुसूचित और गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन परिचालित नागरिक उड्डायन क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की पूँजी में विदेशी एयरलाईन्स द्वारा 49 प्रतिशत तक।

(डी) सरकारी मार्ग द्वारा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा बाज़ार) विनियमन 2010 के अंतर्गत पंजीकृत ऊर्जा बाज़ार में 49 प्रतिशत तक।

स्वचालित / सरकारी मार्ग के अंतर्गत प्रसारण सेवाएं उपलब्ध कराने में लगी कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमाओं की समीक्षा की गई है और यह औद्योगिक नीति और प्रोत्साहन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 20 सितंबर की प्रेस नोट सं.7 (2012 श्रृंखला) में निर्धारित शर्तों के अधीन होगी।

भारत में आयात के लिए व्यापार ऋण

मूलभूत सुविधा क्षेत्र की कंपनियों को जहाँ "मूलभूत सुविधा" बाह्य वाणिज्यिक उधारों पर विद्यमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत पारिभाषित की गई है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा वर्गीकृत पूँजीगत वस्तुओं के आयात के लिए अब अधिकतम पाँच वर्षों की अवधि तक व्यापार ऋण के उपभोग की अनुमति दी गई है:

(i) व्यापार ऋण को प्रारंभ से ही पन्द्रह महीनों की अवधि के लिए अवश्य संविदाकृत होना चाहिए तथा यह अल्पावधि स्वरूप का नहीं होना चाहिए; और

(ii) प्राथमिक व्यापारी बैंकों को तीन वर्षों के बाद बढ़ाई गई अवधि के लिए समुद्रपारीय आपूर्तिकर्ता, बैंक और वित्तीय संस्था के पक्ष में साखपत्र / गारंटियाँ / समझौता पत्र (एलओयू) / चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) जारी करने की अनुमति नहीं दी गई है।

व्यापार ऋण की समस्त लागत सीमा निम्न प्रकार होगी:

परिपक्वता अवधि	6 माह लिबोर पर समस्त लागत सीमा*
एक वर्ष तक	350 आधार अंक
एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक	
तीन वर्ष से अधिक और पाँच वर्ष तक	

*ऋण की संबंधित मुद्रा अथवा लागू बेंचमार्क के लिए

समस्त लागत सीमा में व्यवस्थापक शुल्क, वैध शुल्क, प्रबंधन शुल्क, संचालन/प्रसंस्करण प्रभार, तुरंत लागत व्यय और विधिक व्यय, यदि हों, शामिल हैं।

मूलभूतसुविधा क्षेत्र को तात्कालिक वित्त

विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार मूलभूत सुविधा क्षेत्र की भारतीय कंपनियों को कतिपय शर्तों के अधीन अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत 'तात्कालिक वित्त' की प्रकृति में अल्पावधि ऋण (विक्रेता / आपूर्तिकर्ता ऋण सहित) का उपभोग करते हुए पूँजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति दी गई है।

समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि उपभोग में लाए गए ऐसे तात्कालिक वित्त (यदि वे विक्रेता / आपूर्तिकर्ता ऋण के स्वरूप में हों) को लिखित शर्तों के अधीन स्वचालित मार्ग के अंतर्गत ऐसे तात्कालिक वित्त को पुनः वित्त प्रदान करने की अनुमति दी जाए कि -

(i) विक्रेता / आपूर्तिकर्ता ऋण को वित्तीय सहायता व्यापार ऋण की अधिकतम अनुमत अवधि के पहले किसी बाह्य वाणिज्यिक उधार के माध्यम से दिया जाए;

(ii) प्राधिकृत व्यापारी (एडी) प्रविष्टि के बिल के सत्यापन द्वारा पूँजीगत वस्तुओं के आयात को प्रमाणित करता हो;

(iii) उपभोग में लाए गए विक्रेता / आपूर्तिकर्ता ऋण व्यापार ऋण पर विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुपालन में हो तथा आयातित माल आयात पर डीजीएफटी नीति के अनुरूप हो; और

(iv) प्रस्तावित बाह्य वाणिज्यिक उधार, बाह्य वाणिज्यिक उधार की उपभोग से संबंधित अन्य सभी विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुपालन में हो।

उधारकर्ता अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत रिज़र्व बैंक से केवल तात्कालिक वित्त प्राप्त करने के समय ही संपर्क कर सकते हैं जिसकी जाँच शर्तों के अधीन की जाएगी।

पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी करेंगे। भारत में बैंकों को बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए गारंटियों के किसी भी स्वरूप को उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बाह्य वाणिज्यिक उधार की अन्य सभी शर्तें जैसेकि पात्र उधारकर्ता, प्रतिष्ठित ऋण दाता, समस्त लागत, औसत परिपक्वता, अंतिम उपयोग, स्वचालित मार्ग के अंतर्गत प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम अनुमत बाह्य वाणिज्यिक उधार, पूर्व चुकौती, विद्यमान बाह्य वाणिज्यिक उधार का पुनर्वित्तीयन तथा रिपोर्टिंग व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा और उनका अनुपालन किया जाएगा।

रुपया ऋण / रुपया पूँजी व्यय

अधिकतम अनुमत बाह्य वाणिज्यिक उधार जिसका उपभोग कोई एकल कंपनी कर सकती है को तत्काल में पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्राप्त औसत विदेशी मुद्रा आय के 75 प्रतिशत तक अथवा तत्काल में किसी भी पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्राप्त अधिकतम विदेशी मुद्रा आय के 50 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो तक बढ़ाया गया है।

विशेष प्रयोजन सुविधा (एसपीवी) के मामले में जिसने निगमन की तारीख से कम-से-कम एक वर्ष का अस्तित्व पूरा किया है और जिसके पास तीन वित्तीय वर्षों के लिए पर्याप्त उल्लेखनीय कार्य / पिछला कार्यनिष्पादन नहीं है, को प्राप्त अधिकतम अनुमत बाह्य वाणिज्यिक उधार पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त वार्षिक निर्यात आय के 50 प्रतिशत तक सीमीत होगा।

इस योजना के अंतर्गत किसी एकल कंपनी अथवा समूह द्वारा संपूर्ण रूप में उपभोग में लाए जाने वाला अधिकतम बाह्य वाणिज्यिक उधार 3 बिलियन अमरीकी डॉलर तक सीमित होगा।

भारतीय निक्षेपागार रसीदें जारी करना -सीमित दुतरफा प्रतिमोच्यता

अब यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आईडीआर) को अमरीकी निक्षेपागार रसीदों (एडीआर) / वैश्विक निक्षेपागार रसीदों (जीडीआर) के लिए उपलब्ध सीमित दुतरफा प्रतिमोच्यता सुविधा की तरह सीमित दुतरफा प्रतिमोच्यता की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत दी जाए:

(i) भारतीय निक्षेपागार रसीदों का अंतर्निहित ईक्विटी शेयरों में परिवर्तन 22 जुलाई 2009 के ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 5 में दी गयी शर्तों से विनियमित होगा।

(ii) नई भारतीय निक्षेपागार रसीदें जारी करना 22 जुलाई 2009 के ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 5 के उपबंधों के अनुसार जारी रहेगा।

(iii) भारतीय निक्षेपागार रसीदें फिर से केवल उस सीमा तक जारी की जा सकेंगी जहाँ तक वे मोचित हुई हैं / अंतर्निहित शेयरों में परिवर्तित हुई हैं और बेची गयी हैं।

(iv) पात्र विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीय बाज़ारों में भारतीय निक्षेपागार रसीदें जारी करके पूँजी जुटाने के लिए 5 बिलियन अमरीकी डालर की समग्र उच्चतम सीमा होगी। यह उच्चतम सीमा कर्ज प्रतिभूतियों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा निवेश करने के संबंध में लगायी गयी उच्चतम सीमा के समान होगी और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी।

भारतीय निक्षेपागार रसीदों का जारी होना, मोचन और प्रतिमोच्यता, समय समय पर यथा संशोधित, सेबी (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2009 के साथ-साथ इस सबंध में सरकार, सेबी और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, जारी अन्य संबंधित दिशानिर्देशों के अधीन होगी।

अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशकों द्वारा विदेशी निवेश-हेजिंग सुविधाएं

अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशकों (क्यूएफआई) को अपने अनुमत निवेशों (ईक्विटी और कर्ज लिखतों) के संबंध में अपनी मुद्रा जोखिमों को हेज करने की अनुमति दी गई है। ऐसी हेजिंग के ब्योरे इस प्रकार हैं-

प्रत्येक माह की 30 तारीख को प्रकाशित, प्रत्येक माह के अंतिम दो कार्यदिवसों में मुंबई पत्रिका चैनल, सॉर्टिंग ऑफिस-जीपीओ में प्रेषित **Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14**

प्रयोजन

- भारत में ईक्विटी और / अथवा कर्ज लिखतों में निवेश की गई संपूर्ण राशि के बाजार मूल्य पर, किसी दिनांक विशेष को, मुद्रागत जोखिम को हेज करना।
- प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आइपीओ) से संबंधित, अवरुद्ध राशि तंत्र (एएसबीए) द्वारा समर्थित आवेदन के तहत अस्थायी पूंजी प्रवाह को हेज करना।

परिचालनात्मक दिशानिर्देश / शर्तें / स्थितियाँ

(ए) अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों को उस प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के पास अनुमत निवेशों के लिए मुद्रागत जोखिमों को हेज करने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास निवेश के प्रयोजनार्थ उन्होंने रुपया खाते रखे हों।

(बी) कवर के लिए पात्रता अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक द्वारा की गई घोषणा के आधार पर प्राधिकृत व्यापारी द्वारा अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशक के अर्हता प्राप्त निक्षेपागार सहभागी द्वारा मार्केट कीमत संचरण, नए निवेश प्रवाह, प्रत्यावर्तित राशि और अन्य संबंधित पैरामीटरों के आधार पर, न्यूनतम तिमाही अंतराल पर, उपलब्ध कराए गए / प्रमाणित निवेश मूल्य की आवधिक समीक्षा करके निर्धारित की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बकाया वायदा कवर अंतर्निहित एक्स्पोजरों से समर्थित हैं।

(सी) यदि प्रतिभूति की बिक्री से भिन्न कारणों से पोर्टफोलियो का बाजार मूल्य संकुचित होने से हेज अंशत: या पूर्णत: खुल जाती है, तो निवेशक के चाहने पर हेज मूल परिपक्वता अवधि तक जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है।

(डी) संविदाएं एक बार रद्द होने पर फिर से बुक नहीं की जा सकती हैं। हालांकि, वायदा संविदाएं परिपक्वता पर या उससे पहले रोल ओवर की जा सकती हैं।

(ई) हेज की लागत प्रत्यावर्तनीय निधियों और / अथवा सामान्य बैंकिंग चैनॅल के मार्फत अंत: विप्रेषण से पूरी की जानी चाहिए।

(एफ) हेज संबंधी प्रासंगिक सभी बाह्य विप्रेषण लागू कर घटा कर किए जाएं।

(जी) आईपीओ से संबंधित अस्थायी पूंजी प्रवाह के लिए-

(i) आईपीओ के अंतर्गत अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक अवरुद्ध राशि तंत्र द्वारा समर्थित आवेदनपत्र संबंधी अंतर्प्रवाह की हेजिंग के लिए केवल विदेशी मुद्रा-रुपया स्वैप उत्पाद का प्रयोग कर सकते हैं।

(ii) स्वैप की राशि आईपीओ में निवेश के लिए प्रस्तावित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) स्वैप की अवधि 30 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iv) एक बार रद्द की गयी संविदाएं फिर से बुक नहीं की जा सकेंगी। इस योजना के अंतर्गत रोल ओवर की भी अनुमति नहीं होगी।

भारत में संपर्क / शाखा / परियोजना कार्यालय की स्थापना

रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि भारत में विदेशी गैर-सरकारी संगठनों / गैर-लाभकारी संगठनों / विदेशी सरकारी निकायों / विभागों द्वारा चाहे किसी भी नाम में हो, कार्यालय स्थापित करने की अनुमति सरकारी मार्ग के अंतर्गत दी जाती है। तदनुसार, इन संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे चाहे परियोजना कार्यालय या अन्य कार्यालय के रूप में भारत में किसी कार्यालय की स्थापना हेतु पूर्व अनुमति के लिए रिज़र्व बैंक के पास आवेदन करें।

ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने के लिए किए गए उपाय

सरकार ने किसानों को सांस्थिक ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए समय-समय पर कई नीति उपाय किए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इसमें शामिल हैं:

- प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार पर रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, पिछले वर्ष के 31 मार्च तक समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 40 प्रतिशत अथवा तुलनपत्रेतर निवेश की राशि के समतुल्य ऋण, जो भी अधिक हो, का एक लक्ष्य सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार के लिए अधिदेशित किया गया है। इसके भीतर, पिछले वर्ष के 31 मार्च तक एनबीसी के 18 प्रतिशत अथवा ओबीइ की राशि के समतुल्य ऋण जो भी अधिक हो, का एक लक्ष्य कृषि क्षेत्र को उधार के लिए है।
- कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह के लिए सरकार एक वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण कर रही है। वर्ष 2012-13 के लिए कृषि लक्ष्य वर्ष 2011-12 में 4,75,000 करोड़ रुपए के बदले 5,75,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।
- भारत सरकार प्रति वर्ष 7 प्रतिशत के ब्याज दर पर किसानों को एक वर्ष की अवधि के लिए 3 लाख रुपए तक अल्पावधि फसल ऋण उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2006-07 से ही ब्याज अनुदान योजना का कार्यान्वयन कर रही है। वर्ष 2009-10 से भारत सरकार भुगतान करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ब्याज अनुदान उपलब्ध करा रही है। यह अतिरिक्त ब्याज अनुदान वर्ष 2009-10 में 1 प्रतिशत, वर्ष 2010-11 में 2 प्रतिशत और वर्ष 2011-12 में 3 प्रतिशत है।सरकार ने वर्ष 2012-13 के बजट भाषण में इन योजनाओं को वर्ष 2012-13 में जारी रहने की घोषणा की है।
- रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे 1,00,000 रुपए तक के कृषि ऋणों के लिए मार्जिन / जमानती अपेक्षाएँ हटा दें।
- भारत सरकार द्वारा कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 लागू की गई थी। इस योजना ने ऋण के उस स्वरूप को बाधा-रहित कर दिया है जो किसानों पर ऋण के बोझ के कारण अवरूद्ध हो गई थी और उसने उन्हें नए ऋणों के लिए पात्र भी बनाया है। इस योजना के अंतर्गत रिज़र्व बैंक और नाबार्ड के माध्यम से 52,275.55 करोड़ रुपए सरकार द्वारा जारी किए गए हैं जिससे 3.45 करोड़ किसानों को लाभ पहुँचा है।
- बैंकों को सूचित किया गया है कि वे सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) तथा गैर-किसानों को सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) जारी करें। नाबार्ड द्वारा केसीसी की एक नई योजना परिचारित की गई है जो केसीसी को एटीएम कार्ड की तरह सुविधा देती है जिसका उपयोग एटीएम / बिक्री के केंद्र (पीओएस) टर्मिनलों पर किया जा सकता है।
- सरकार के इन प्रयासों के कारण कृषि ऋण खातों की संख्या वर्ष 2009-10 के 482.30 लाख से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 646.57 लाख हो गई है।

स्रोत: संसदीय प्रश्न

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।